न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/19/2020

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री रघुनाथ बवेजा पुत्र स्व0 श्री हरिश चन्द बवेजा मौहल्ला चकलागुन्दी, वैष्णों माता के मन्दिर के पास, मालाखेडा बाजार,अलवर, जिला अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांकः– 08.09.2020

—:: निर्णय ::—

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.01.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.03.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. कोराना वायरस (Covid-19) वैश्विक महामारी से संक्रमण के मध्येनजर उक्त बीमारी के फैलाव की रोकथाम में अतिव्यस्तता के कारण पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 513 दिनांक 17.03.20 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 13.01.20 को लोक सूचना अधिकारी, कलैक्ट्रेट अलवर को प्रस्तुत किया गया, संबंधित वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ कलैक्ट्रैट अलवर से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 513 दिनांक 17.03.20 एवं यू0ओ0नोट क्रमांक 113 दिनांक 06.08.20 माध्यम से वांछित सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था किन्तु वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई गयी है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी को सूचना निः शुल्क उपलब्ध करावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
6. प्रायः यह देखने में आया है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अन्तर्गत आवेदकों द्वारा वाछित सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ द्वारा समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिससे न्यायालय में अनावश्यक अपीलें दायर करनी पडती है–जो उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ को समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 08.09.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)

जिला कलेक्टर,अलवर

अलवर (राज0)